(37)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2018/0979

असफाक उद्दीन पुत्र श्री अमीन उद्दीन आयु 59 वर्ष, जाति मुस्लिम, निवासी– ग्राम सीहोरा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा हाल निवासी मकान नम्बर 9 अशोका कॉलोनी, औलड लैक व्यू, होटल के बगल में नूरू महल भोपाल

----- निगरानीकर्ता/रेस्पोडेन्ट

बनाम

सुशील कुमार अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी– शिव मंदिर ग्राम सीहोरा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा हाल निवासी– बेलविडेरी एवेन्यू, सनवुड एन–जे, अमेरिका (यू.एस.ए.)

----- प्रतिनिगरानीकार्ता/अपीलार्थी

दिनांक 7-2-18 को श्री प्रभात [illegible] द्वारा प्रस्तुत/

7-2-18

पेशी 12-2-18

12/2/18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व सहिंता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 24-1-18 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई जिला विदिशा प्रकरण क्रमांक 48/अपील/2016–17 व उन्वान सुशील कुमार अपीलार्थी बनाम असफाक उद्दीन रिस्पोडेन्ट

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता/रिस्पोडेन्ट की ओर से निगरानी श्रीमान न्यायालय के समक्ष सविनय निम्न लिखित प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई जिला विदिशा के समक्ष अपील प्रतिनिगरानीकर्ता सुशील कुमार द्वारा तहसील न्यायालय कुरवाई जिला विदिशा द्वारा पारित आदेश प्रकरण क्रमांक 23/अ–6/08–09 दिनांक 12.11.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की थी जिसमें निगरानीकर्ता रिस्पोडेन्ट की हैसियत से

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/979 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/02/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रभात उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने धारा-5 का आवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप को कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। आवेदक को गुण-दोष पर अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। परिणामस्वरूप यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	